न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ।
सत्र परीक्षण संख्या–248/2024
राज्य **बनाम ममता सिंह आदि।**

दिनांक–14.07.2026

1. पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। विद्वान अधिवक्ता हाजिर आये।
2. अभियोगी मुकदमा शेष कुमार सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र 12ख, धारा– 319 दं0प्र0सं0 /358 BNSS के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी वादी मुकदमा है। प्रार्थी का बयान मुकदमें में पी0डब्लू0–1 के रूप में हो चुका है। प्रार्थी ने अपने मुख्य बयान में घटना में शामिल अभियुक्तगण 1–अमर सिंह, 2–विजय बहादुर सिंह, 3–निशा सिंह, 4–ऊषा सिंह, 5–सत्यम सिंह व 6–शिवम आदि घटना कारित करने वालों में शामिल थे। जिनको विचारण के लिये तलब किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में घटना के संबंध प्रार्थना पत्र दिनांकित 24.06.2023 को थाना उदयपुर, में दिया गया था, जिसका इन्द्राज जी0डी0 संख्या–40 दिनांक 24.06.2023 पर दर्ज है, परन्तु स्थानीय पुलिस अभियुक्तगण को लाभ पहुंचाने की नियत से दबाव में आकर प्रार्थी के लड़के से जबरन दूसरी तहरीर लिखवाकर प्रार्थी से हस्ताक्षर कराकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर लिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्ता ममता सिंह द्वारा घटना की रात अपने मोबाईल नं0–95699571403 से अभियुक्त अंकित यादव के मोबाईल नं0–9205428415 पर तीस बार बात किया तथा राजा सिंह से दो बार बात किया तथा ममता सिंह की बहन निशा सिंह ने अभियुक्त अंकित यादव से घटना के पूर्व दिन में 12:41 पर बात किया इससे स्पष्ट होता है कि अपराध में ममता सिंह व निशा सिंह की भूमिका मृतक की हत्या कराने में रही है। जिसका साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। घटना के एक दिन पूर्व अभियुक्त अंकित यादव की राजा सिंह से तीन बार तथा निशा सिंह व राजा सिंह से घटना वाले दिन सुबह सात बार बात हुई तथा राहुल यादव ने मोबाईल नं0–9044009258 से निशा सिंह के मोबाईल नं0–7307767097 पर दिनांक–22.06.2023 को, यानी घटना के एक दिन पूर्व सात बार बात हुई थी तथा घटना वाली तिथि को भी सात बार बात हुई और घटना के बाद भी दिनांक–24.06.2023 को सुबह तीन बार बात हुई इन सबके साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। दिनांक–24.03.2023 को जो मोबाईल ममता सिंह के पिता अमर सिंह के नाम पर खरीदा गया उसी से अभियुक्त अंकित यादव से ममता सिंह से बात हुई तथा निशा सिंह द्वारा अपने मोबाईल रिएलमी–सी033 से मृतक से बात किया जिसका साक्ष्य पत्रावली में मौजूद है। अभियुक्तगण के घर से नहर मात्र 100–150 मीटर दूर है। सभी अभियुक्तगण ने साजिश करके मोबाईल से बात करके मृतक को नहर के पास बुलाया और जहां पर सभी अभियुक्तगण द्वारा योजनाबद्ध तरीके से मृतक की हत्या कर दी गई। मृतक की हत्या योजनाबद्ध तरीके से करने के लिये अभियुक्तगण रंजीत कोरी और अंकित यादव से बात–चीत कर ली गई थी। इसी लिये एक आपत्तिजनक फोटो का बहाना लेकर सत्यम, शिवम, अमर सिंह, विजय बहादुर सिंह, विजय बहादुर की पत्नी दिनांक–23.06.2023 को शाम 05:00 बजे मृतक के घर पर धमकी देने आये थे। सत्यम, शिवम

Digitally signed by RAM LAL
Date: 2026.07.14 16:27:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दोनों अभियुक्ता ममता सिंह के सगे भाई है और विजय बहादुर सिंह व उसकी पत्नी अभियुक्ता ममता सिंह के दादा–दादी है। दिनांक–23.06.2023 को लगभग शाम 05:00 बजे जब उपरोक्त लोग मृतक के घर आकर धमकी दे रहे थे तो उस वक्त सत्यम व शिवम द्वारा यह कहा गया था कि हम लोगों ने रंजीत कोरी व अंकित यादव से इसका काम तमाम करने के लिये बात कर लिया है। प्रार्थी द्वारा स्थानीय पुलिस के विरुद्ध उसके द्वारा पूर्व में दिये गये प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही न करने व प्रार्थना पत्र को बदल कर मुल्जिमान की मदद की गई। जिसके सम्बन्ध में पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत की गई थी जिसको स्थानीय पुलिस द्वारा जानबूझकर विवेचना में शामिल नही किया गया। सभी अभियुक्तगण को विचारण हेतु तलब किये जाने की कृपा की जाए।

3. संक्षेप में तथ्य यह है कि अभियोगी मुकदमा शेष कुमार सिंह ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी है कि दिनांक 24.06.2023 को मेरे भाई सुरेश सिंह जो चंडीगढ़ में रहते है, फोन के माध्यम से सूचना दिया की दीपक सिंह जो अपनी ननिहाल ग्राम पूरे बसावन गया तो जानकारी हुई कि मेरे भतीजे दीपक सिंह उर्फ सोनू सिंह को गांव के अंकित यादव व रंजीत कोरी बुला कर ले गए और दीपक की हत्या करके लाश गायब कर दिया है। मेरे भाई के साले दिनेश सिंह ने बताया कि सुबह 03.00 बजे गांव के विजय बहादुर सिंह व उसकी पत्नी मेरे घर में आकर मुझे जगाकर कहा की अपने भांजे सोनू सिंह को समझा लो नहीं तो जान से मरवा देंगे।
4. उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण अंकित यादव, रंजीत कोरी, विजय बहादुर सिंह व विजय बहादुर सिंह की पत्नी के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या– 77/2023, धारा– 302, 201, 506 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।
5. विवेचना उपरांत विवेचक द्वारा अभियुक्तगण ममता सिंह, रंजीत कोरी के विरूद्ध धारा– 302, 201, 506, 120 बी भा0 दं0 सं0 व अभियुक्त अंकित यादव के विरूद्ध धारा– 302, 201, 506, 120 बी भा0 दं0 सं0 व 25/27 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त विजय बहादुर सिंह के विरूद्ध धारा– 506 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. विद्वान कमिटल न्यायालय द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा– 302, 201, 506, 120 बी भा0 दं0 सं0 व 25/27 आर्म्स एक्ट का संज्ञान लेते हुए पत्रावली सत्र सुपुर्द की गयी है।
7. तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण रंजीत कोरी, अंकित यादव व ममता सिंह के विरूद्ध धारा– 302, 506, 201, 120 बी भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया।
8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोगी मुकदमा पी0 डब्लू0–1 शेष कुमार सिंह, पी0 डब्लू0–2 दिनेश सिंह, व पी0 डब्लू0–3 डॉक्टर राहुल घोष को परीक्षित कराया गया है।
9. सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
10. जहॉ तक अभियुक्तगण अमर सिंह, निशा सिंह, ऊषा सिंह, सत्यम सिंह व शिवम को धारा 319 दं0 प्र0 सं0/358 BNSS के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किये जाने का प्रश्न है। धारा

319 दं0 प्र 0 सं0 के अनुसार– अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की शक्ति–

(1) जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त, के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

(2)जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है, वहां पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार, गिरफ़्तार या समन किया जा सकता है।

(3)कोई व्यक्ति जो गिरफ़्तार या समन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाज़िर है, ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए, जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए निरूद्ध किया जा सकता है।

(4)जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरूद्ध उप धारा (1) के अधीन कार्यवाही करता है वहां–

(क) उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारम्भ की जायेगी और साक्षियों को फिर से सुना जायेगाः

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मामले में ऐसे कार्यवाही की जा सकती है, मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था, जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था, जिस पर जांच या विचारण प्रारम्भ किया गया था।

11. धारा 319 दं.प्र.सं. के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया गया। जोगेन्द्र यादव एवं अन्य बनाम स्टेट आफ बिहार एवं अन्य 2015 ए.सी.आर. 749 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि–

Summoning of additional accused to face trial-Extraordinary under section 319 of Cr.P.C.,can be exercised only if very strong and cogent evidence occurs against a person from evidence led before Court-Standard of proof employed for summoning a person as an accused under section 319 of Cr.P.C.,is higher than standard of proof employed for framing a charge against an accused. बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य ए 0 आई 0 आर 0 2017 सु0 को0 2839 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि . However, since it is a discretionary power given to the Court under section 319 Cr.P.C. and is also an extraordinary one, same has to be exercised sparingly and only in those caseswhere the circumstances of the case so warrant. The degree of satisfaction is more than the degree which is warranted at the time of framing of the charges against others in respect of whom charge sheet was filed. Only where strong and cogent evidence occurs against a person form the evidence led before the Court that such power should be exercised. It is not to be

exercised in a casual or a cavalier manner. The prima Facie opinion which is to be formed required stronger evidence than mere probalility of his complicity.

हरदीप सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब ए.आई.आर. 2014 सुप्रीम कोर्ट 1400 के प्रस्तर सं0 105 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि - Power under section 319 Cr.P.C. is a discretionary and an extraordinary power. It is to be exercised sparingly and only in those cases where the circumstances of the case so warrant. It is not to be exercised because a Magistrate or the Sessions judge is of the opinion that some other person may also be guilty of committing that offence. Only where strong and cogent evidence occurs against a person form the evidence led before the Court that such power should be exercised and not in a casual or a cavalier manner.

12. उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि दौरान विचारण यदि किसी ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है, जो अभियुक्त नहीं है और न्यायालय को यह लगता है कि उसके द्वारा अपराध कारित किया गया है और उसका विचारण अन्य अभियुक्त के साथ किया जा सकता है तो न्यायालय द्वारा उसे विचारण हेतु तलब किया जायेगा। धारा 358 BNSS/ 319 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्ध आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला देखा जाना है। इस हेतु न्यायालय की शक्तियां बहुत ही सीमित हैं। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि धारा 358 BNSS/ 319 दं0 प्र0 सं0 के तहत प्रस्तावित अभियुक्त के रुप में तलब किये जाने के लिये प्रथम दृष्टया प्रबल एवं विश्वसनीय अतिरिक्त साक्ष्य का पत्रावली पर होना आवश्यक है।

13. साक्षीगण पी०डब्लू०–1 शेष कुमार सिंह एवं पी०डब्लू०–2 दिनेश कुमार सिंह के बयानों का अवलोकन किया। साक्षी मनोज कुमार द्वारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में कहा गया कि दिनांक 24.06.2023 की सुबह से ही दीपक सिंह उर्फ सोनू का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था गाँव के लोगों द्वारा भी दीपक सिंह उर्फ सोनू सिंह काफी खोजा गया, परन्तु उसका कुछ पता नहीं चल सका और दोपहर को सुनने में आया कि दीपक सिंह की हत्या हो गयी। गाँव में चर्चा चल रही है कि दिनेश सिंह का भांजा पिछले कुछ समय से दिनेश सिंह के घर पर ही रहता था दिनांक 23.06.2023 को ममता ने दिनेश के घर जाकर धमकी दिया कि दीपक से कह देना मेरी फोटो डिलीट कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ममता का गाँव के ही अंकित यादव के साथ प्रेम प्रसंग था। ममता ने अंकित यादव व रंजीत कोरी के साथ मिलकर दीपक उर्फ सोनू की हत्या करवाकर शव को नदी में फेंक दिया था। पता चला था कि दिनांक 24.06.23 की सुबह करीब 3 बजे ममता के बाबा विजय उम्र करीब 70 वर्ष ममता के शौंच के लिए जाते समय छेड़छाड़ की बात को लेकर दिनेश सिंह के घर धमकी दी थी। अमर सिंह व उसके घर वालों का इस हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। साक्षी गुलाब सिंह द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में कहा कि दिनांक 24.06.2023 को जब दीपक सिंह

उर्फ सोनू का कुछ पता नहीं पा रहा था तो दीपक के मामा दिनेश काफी परेशान थे। हम गाँव वालों द्वारा काफी खोजा गया परन्तु दीपक सिंह का कुछ पता नहीं चल पाया, इस पर दिनेश सिंह ने थाने जाकर सूचना दी थी। दोपहर के बाद सुनने में आया की दीपक सिंह का शव सई नदी में थाना क्षेत्र सलवन रायबरेली में मिला है। उसकी हत्या हो गयी है। दीपक सिंह उर्फ सोनू, दिनेश सिंह का भांजा था, कुछ समय से दिनेश सिंह के घर पर ही रहता था। सुना है कि ममता सिंह ने अपने प्रेमी अंकित यादव व उसके साथी रंजीत कोरी के साथ मिलकर दीपक सिंह की हत्या की है। अमर सिंह व उसके घर वालों का इस हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं है। साक्षी मनीषा द्वारा धारा 161 दं.प्र.सं. के बयान में कहा कि मेरी चचेरी बहन ममता व निशा एक ही कमरे में रहती थी। दिनांक 23.06.2023 की रात को हमारे यहाँ कथा/पूजा पाठ हो रही थी। हम सब लोग समय करीब 9.30 बजे तक कथा में बैठे हुए थे। मेरी चचेरी बहन ममता ने निशा का मोबाइल ले लिया था, बताया था कि मुझे कही फोन करना है जिसके बाद उस रात निशा का मोबाइल फोन चचेरी बहन ममता के पास ही था। साहब मुझे नहीं पता है कि मेरी चचेरी बहन ममता ने निशा के मोबाइल से कहां– कहां फोन किया, रात करीब 11:30 से 12 बजे के लगभग मेरी चचेरी बहन शौच जाने के लिए घर से निकली थी। जिसके बाद वह काफी देर बाद घर आयी और बाबा विजय बहादुर सिंह और सभी लोग को यह बतायी कि दिनेश सिंह के भांजे दीपक सिंह उर्फ सोनू ने मेरे साथ छेड़छाड़ / बत्तमीजी की है। जिससे मेरे बावा नाराज हो गये थे तथा रात समय करीब 3 बजे मेरे बाबा विजय बहादुर दीपक उर्फ सोनू के मामा के घर उलाहना देने गये थे लेकिन दीपक घर पर नहीं था। जिसके बाद मेरे बाबा बापस आ गये थे। पिछले कुछ दिनों से दीपक उर्फ सोनू मेरी दीदी ममता को किसी बात को लेकर परेशान कर रहा था यह बात मेरी दीदी ममता ने निशा को बतायी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी दीदी ममता अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर इतना बड़ा कदम उठा लेगी।

14. अभियोगी मुकदमा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 में कहा गया है कि दिनांक 24.06.2023 को मेरे भतीजे दीपक सिंह उर्फ सोनू सिंह को गांव के अंकित यादव व रंजीत कोरी बुला कर ले गए और दीपक की हत्या करके लाश गायब कर दिया है। मेरे भाई के साले दिनेश सिंह ने बताया कि सुबह 03.00 बजे गांव के विजय बहादुर सिंह व उसकी पत्नी मेरे घर में आकर मुझे जगाकर कहा की अपने भांजे सोनू सिंह को समझा लो नहीं तो जान से मरवा देंगे।

15. विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त प्रस्तावित अभियुक्तगण अमर सिंह, निशा सिंह, ऊषा सिंह, सत्यम सिंह तथा शिवम के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि साक्षीगण मनोज कुमार, गुलाब सिंह आदि के बयानों से परिलक्षित होता है कि घटना में प्रस्तावित अभियुक्तगण संलिप्त नहीं थे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित अभियुक्तगण अमर सिंह, निशा सिंह, ऊषा सिंह, सत्यम सिंह तथा शिवम के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रबल साक्ष्य प्रतीत नही होता है।

16. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों माननीय उच्चतम न्यायालय की सम्मानित विधि व्यवस्थाएं एवं

प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध धारा 358 BNSS/ 319 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत मामले को और आगे बढ़ने के लिये पत्रावली पर पर्याप्त प्रबल साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियोगी मुकदमा का प्रार्थना पत्र 12 ख स्वीकार होने योग्य नहीं है। इस आदेश में दिये गये निष्कर्ष मात्र प्रार्थना पत्र 12 ख के निस्तारण के लिये है। प्रार्थनापत्र 12 ख में दिये गये निष्कर्ष का प्रभाव प्रश्नगत सत्र परीक्षण संख्या–248/2024 सरकार बनाम ममता सिंह आदि के गुणदोष पर नहीं होगा।

<u>आदेश</u>

17. प्रार्थना पत्र 12 ख धारा 358 BNSS/ 319 दं0 प्र0 सं0 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य दिनांक–26.08.2026 को पेश हो।

दिनांक–14.07.2026

(राम लाल–द्वितीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–2, प्रतापगढ़।
J.O. Code–UP 6467